



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 318 राँची ,शुक्रवार

25 वैशाख, 1937 (श०)

15 मई, 2015 (ई०)

### वाणिज्य-कर विभाग

-----  
अधिसूचना

15 मई, 2015

एस.ओ.-23 दिनांक 15 मई, 2015— झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल योगदा सत्संग सोसाइटी आफ इंडिया, परमहंस योगानन्द पथ, ओल्ड हजारीबाग रोड, राँची को Audio and Video Cassettes and Compact Discs, Calendars, Laminated Photographs, Pendants, Mementos and Arm-Rests के बिक्री पर तथा Medicines & Medical Equipments, Electronic Goods and Vehicles & Part thereof की खरीद पर मूल्यवर्द्धित कर से चालू वित्तीय वर्ष में अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सीमा तक विमुक्ति प्रदान करते हैं ।

2. योगदा सत्संग सोसाइटी आफ इंडिया, राँची वार्षिक रिपोर्ट आवश्यक कागजातों के साथ (खरीद/ बिक्री से सम्बन्धित) सम्बन्धित अंचल/मुख्यालय को प्रेषित करेंगे।
3. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी समझी जायेगी एवं दिनांक 31.03.2016 या वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के क्रियान्वयन, जो भी पहले हो, तक प्रवृत्त रहेगी।

### घोषणा पत्र

अधिसूचना सं०	एस० ओ०	दिनांक
पुस्तिका सं०	प्रपत्र सं०	

सेवा में,

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि बिल /कैशमेमो संख्या ..... दिनांक .....रु..... द्वारा खरीदा/बेचा गया माल योगदा सत्संग सोसाइटी आफ इंडिया, परमहंस योगानन्द पथ, ओल्ड हजारीबाग रोड, राँची के उपयोग के लिए है तथा वे अधिसूचना संख्या एस० ओ० ..... दिनांक.....द्वारा आच्छादित है।

स्थान हस्ताक्षर  
तिथि पदनाम

(संचिका संख्या वा०कर१/वैट /विमुक्ति /4 /2009/1697)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**निधि खरे,**

सचिव-सह-आयुक्त,

वाणिज्य-कर विभाग,

झारखण्ड, राँची ।

-----